R.M.M. Law College, Saharsa
Lecturer. Narendra Anand
LL.B. Part - II
Paper - IX 11
Moot Court

Examination - in - Chief
(मुख्य परीक्षा :-

साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 यह उपबन्ध करती है कि किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। अतः प्रत्येक साक्षी उस पक्षकार द्वारा परीक्षित किया जाता है जो उसे बुलाता है तो इसे उसकी मुख्य परीक्षा कहते हैं। धारा-138 यह उपबन्ध करती है कि परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा दोनों ही तथ्यों से सम्बन्धित होंगी। किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य उन सभी साक्षी के ज्ञान में जो ऐसे तात्विक तथ्य हैं जिनसे साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार अपने पक्ष को साबित कर सकता है, उसे निकलवाना या प्रकाश में लाना है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अनुसार सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद हैं या जो उसकी राय में पहले से पर्याप्त रूप से

साबित हो चुका है। अथवा प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा।

मुख्य परीक्षा में अधिवक्ता का प्रयास यह होना चाहिए कि वह साक्षी वह समस्त जानकारियाँ प्राप्त कर ले जो कि उसके मुवक्किल के लिए आवश्यक हो। यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई तात्विक प्रश्न साक्षी की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसे अधिवक्ता पुनः परीक्षा में अधिकार के रूप में नहीं पूछ सकता, हालाँकि, न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त कि वह ऐसे प्रश्न को पुनः परीक्षा में पूछने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है और यदि वह अनुमति प्रदान करती है तो प्रतिपरीक्षा को नये विषयों पर प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा।

वस्तुतः साक्षी का परीक्षण एक कला है तथा इसकी प्राप्ति, प्रमुखतः अनुभव के द्वारा होती है। अधिवक्ता को चाहिए कि वह अपने मुवक्किल के पक्ष के उचित क्रमानुसार से समस्त सुसंगत तथ्यों को जो कि साक्षी के जानकारी में है प्रकाश में लाये। उसे साक्षी की परीक्षण करते समय साक्षी की प्रकृति तथा उसके स्वभाव को ध्यान में रखना चाहिए। बातूनी साक्षी को हतोत्साहित तथा कम बोलने वाले साक्षी को प्रोत्साहित करनी चाहिए। ईमानदार साक्षी में जहाँ तक सम्भव हो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा उसे इस ढंग से अपनी बात को पेश करने देना चाहिए जिस ढंग से उसे वह पेश करना चाहता है।

अधिवक्ता को प्रतिपक्षी द्वारा रखे गए किसी प्रश्न पर उस दशा में आपत्ति नहीं करनी चाहिए, जबकि वह उस आपत्ति को परिवर्तित नहीं करा सकता। उसे उस साक्षी को नहीं छुलाना जिसे बुलाने के लिए उसका प्रतिपक्षी बाध्य है। इससे उस अधिवक्ता को उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा होने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रतिपरीक्षा :-

साक्षी की परीक्षा जब प्रतिपरीक्षा द्वारा ली जाती है तब उस परीक्षा को प्रतिपरीक्षा कहा जाता है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य होता है साक्षी की सत्यवादिता का परीक्षण करना तथा साक्षी द्वारा दिये गए साक्ष्य की सत्यता को शक्त करना। प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता का प्रयत्न होता है कि वह विपक्षी साक्षी से अपने मुवक्किल के पक्ष में कुछ बातें प्राप्त कर लें तथा अपने प्रतिपक्षी के दावे को या उसके प्रतिपक्षी के उसके मुवक्किल के विरुद्ध जो कुछ भी कहा है उसको कमजोर कर दे। इस परीक्षा द्वारा यह भी दिखाने की चेष्टा की जाती है कि साक्षी विश्वसनीय नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के अनुसार शील या आचरण का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 139 यह स्पष्ट करती है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता

तथा यदि और जब तक साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूचक प्रश्न का अर्थ है कोई भी ऐसा प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला साबित पाना चाहता है या पाने की आशा करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 144 लेखबद्ध विषयों से सम्बन्धित उपबन्ध करती है। इसके अनुसार किसी साक्षी से जबकि वह परीक्षाधीन है, यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा जो उस प्रकार की जिसने उस साक्षी को बुलाया है, उसका लिखित साक्ष्य देने का हक देते हैं।

धारा-145 के अनुसार, किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख के साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी किन्तु यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाता है।